न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 106/2015 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 गुलाबनाथ पिता बरदानाथ (जोगी) उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा (धामणिया) तहसील बनेडा हाल निवासी बडली तहसील भीनाय जिला अजमेर
2 श्रीमति सरजु पुत्री बरदानाथ पत्नि श्रवणनाथ उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा (धामणिया) तहसील बनेडा हाल निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3 श्रीमति लाली पुत्री बरदानाथ पत्नि बालनाथ उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा (धामणिया) तहसील बनेडा हाल निवासी मादेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा .... वादीगण

बनाम

1 श्री शम्भुनाथ पिता मिश्रीनाथ (जोगी) उम्र–वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्रीमति लीला पुत्री श्री मिश्रीनाथ पत्नि श्रवणनाथ उम्र–वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा हाल निवासी तुलछा का खेडा, बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 श्रीमति रूकमा पुत्री बरदुनाथ पत्नि प्रभुनाथ उम्र–वयस्क निवासी बालाजी की गली, जुना गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति लाली पुत्री बरदुनाथ पत्नि शंकरनाथ, उम्र–वयस्क निवासी खालेडा गेंहूली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5 श्रीमति रतनी पुत्री बरदुनाथ पत्नि भोलुनाथ उम्र–वयस्क निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6 श्रीमति जिया पुत्री बरदुनाथ पत्नि कैलाश नाथ उम्र–वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा (राज.) ..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्ण कुमार जीनगर.............वादीगण अधिवक्ता**
पैरोकार सरकार................ ......प्रतिवादी संख्या 07

दिनांक 30.05.2018

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 इस प्रकार सहमति से स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 2358 रकबा 00–02 बीघा, आराजी संख्या 2359 रकबा 19–17 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 का नाम खातेदारी हक से विलोपित कर दुरूस्त करते हुए उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसके इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। साथ ही वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। मुताबिक निर्णय अंन्तिम डिकी प्रदत्त की जाती है। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को आदेशित किया जाता है।

यह डिकी आज दिनांक 30.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार शिविर मुकाम कुण्डियाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)